

## कार्यालय :- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर (म.प्र.)

—: परिपत्र :-


क्रमांक- क्यू/कोरोना वायरस/2020

नरसिंहपुर, दिनांक 31.07.2020

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के परिपत्र क्रमांक-बी/2798 जबलपुर दिनांक 31.7.2020 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकें जाने हेतु एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु मध्यप्रदेश शासन एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा पूर्व में समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों को विचार में लेते हुये परिपत्र क्रमांक-डी/2377 जबलपुर दिनांक 27.6.2020 एवं परिपत्र क्रमांक-क्यू/12 दिनांक 04.05.2020 एवं उनसे संबंधित, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को दिनांक 04.08.2020 से दिनांक 08.08.2020 तक के लिए अधीनस्थ न्यायालय हेतु विस्तारित किया गया है।

अतएव रजिस्ट्री परिपत्र क्रमांक- डी/2377 जबलपुर दिनांक 27.6.2020 एवं परिपत्र क्रमांक-क्यू/12 दिनांक 4.5.2020 एवं अन्य रजिस्ट्री द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए रजिस्ट्री परिपत्र क्रमांक-बी/2798 जबलपुर दिनांक 31.7.2020 के पालन में, इस स्थापना पर परिपत्र क्रमांक- क्यू/कोरोना वायरस/2020 नरसिंहपुर दिनांक 11.7.2020 द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को दिनांक 04.08.2020 से दिनांक 08.08.2020 तक के लिए विस्तारित किया जाता है।


संलग्न:-रजि.परिपत्र क्र.-बी/2798  
जबलपुर दिनांक 31.7.2020

  
31.7.20  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
नरसिंहपुर  
नरसिंहपुर दिनांक-31.07.2020

पृष्ठांकन | 293/कोरोना वायरस/2020

प्रतिलिपि:-

- 01-माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 02- प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर।
- 03- जिला कलेक्टर, नरसिंहपुर
- 04- पुलिस अधीक्षक, नरसिंहपुर
- 05- समस्त न्यायाधीशगण, नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा की ओर पालनार्थ प्रेषित।
- 06- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नरसिंहपुर की ओर हेल्प डेस्क पर पी0एल0वी0 की उपलब्धता सुनिश्चित करावे।
- 07- अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ, नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित कि वे कृपया समस्त अधिवक्तागण को उक्त परिपत्र से अवगत करावे।
- 08- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नरसिंहपुर की ओर पूर्ववत पालनार्थ प्रेषित।
- 09- लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नरसिंहपुर/गाडरवारा की ओर सूचनार्थ।
- 10- जिला अभियोजन अधिकारी/सहा.लोक अभियोजन अधिकारी,नरसिंहपुर/गाडरवारा/तेंदूखेड़ा की ओर सूचनार्थ।
- 11- जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर की ओर पालनार्थ प्रेषित।
- 12- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नरसिंहपुर की ओर प्रेषित कि न्यायालय समय पश्चात् प्रतिदिन न्यायालय परिसर को सेनेटाईज करावे।
- 13- सिस्टम ऑफिसर नरसिंहपुर/सिस्टम अस्सिस्टेंट, गाडरवारा की ओर सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं जिला न्यायालय की ई मेल आई डी पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- 14- अध्यक्ष न्यायिक कर्मचारी संघ, नरसिंहपुर/गाडरवारा की ओर समस्त कर्मचारीगण को सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

  
31.7.20  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
नरसिंहपुर

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

A  
31.7.20  
31-7-20  
5-25

No. B/2798 /

Jabalpur dated 31/07/2020

In continuation of earlier circular(s)/direction(s) issued by the High Court from time to time, Hon'ble the Chief Justice of the High Court of M.P. having taken into consideration all the prevailing factors, for effective control over the spread of COVID-19 in the State of M.P., has been pleased to issue directions regarding functioning of the High Court as well as the Subordinate Courts including Family Courts in State of M.P. as follows:

The limited functioning as per Circular No. D/2377 dated 27.06.2020, Circular No.Q-12 dated 4<sup>th</sup> May 2020, Circular No. B/2655 dated 24.07.2020 and other relevant guidelines/directions issued by the High Court from 4<sup>th</sup> August, 2020 till 7<sup>th</sup> August, 2020 for the High Court and from 4<sup>th</sup> August, 2020 to 8<sup>th</sup> August for Subordinate Courts including Family Courts in the State of M.P. except Subordinate Court, Indore, where only urgent matters will be heard as per circular No. Q/5 dated 25.03.2020.

By order of Hon'ble the Chief Justice

  
31.7.20  
(RAJENDRA KUMAR VANI)  
REGISTRAR GENERAL